BEFPRE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

Original Application No. 277 / 2019

Gauri Shriram Keeling — Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand & others — Respondents(s)

In compliance of the order of Hon'ble National Green Tribunal Dated 02.04.2019, Status Report Regrading the case on behalf of Respondent No.4 is as under.

1. That the matter came through the complaint received in Principal Chief Conservator of Forest Uttarakhand office in the name Sh. Umesh Bahadur Mathur. Taking note of the complaint undersigned take a quick response and send a team of subordinate officers of the Department including Range Forest Officer of the area.

2. That the team of Forest Officers enquired the spot defined in complaint and after the through enquiry they found that the land in question falls under the category of Private land according to Revenue Records and it is to be noted that the land does not belongs to Reserve Forest Land.

3. That the averments made in complaints found baseless and misleading, because on the spot there were no any sign or evidence of illicit tree felling. Hence after enquiry it was clear that there were no any violation of Forest Laws that is why no action needs to be taken.

Divisional Forest Officer
Mussoorie Forest Division
Mussoorie.

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 4038 / 29–3 दिनांकः मसूरी, 31, मई, 2019

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,
फरीद कोर्ट हाउस,कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली–110001

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नइ दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या 277/ 2019 गौरी श्रीराम कीलिंग बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्राग के पत्र संख्या 3321/ 29–3 दिनांक 29–4–2019 के द्वारा विषयाकिंत आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ । वाद के साथ प्राप्त अभिलेखों के साथ मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या 277/ 2019 गौरी श्रीराम कीलिंग बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 02–4–2019 को सुनवाई हुई है जिसमें निजी भूमि में हरे वृक्षों के पातन तथा खनन करने विषयक शिकायत पर जिलाधिकारी, देहरादून के स्तर से कार्यवाही करते हुए अनुपालन सूचना एक माह के अन्दर मा0 अधिकरण को प्रेषित किये जाने के निर्देश है।

प्राप्त शिकायत पर वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर के स्तर से नाप भूमि में हरे वृक्षों के पातन तथा भूमि में खनन करने संबंधी बिन्दुओं पर जांच करवाई गई। वनक्षेत्राधिकारी, रायपुर के द्वारा अवगत कराया गया है कि मौके पर किसी भी प्रकार से वृक्षों का अवैध पातन नहीं पाया गया और न ही अवैध रूप से भूमि के खनन करने का मामला संज्ञान में आया है। शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की प्रारम्भिक जांच में यह भी पाया गया कि आरक्षित वन भूमि में किसी भी प्रकार का अवैध कार्य नहीं हुआ है और न ही वन कानूनों का उल्लंघन पाया गया है।

प्रारम्भिक स्थलीय जांच आख्या मा0 प्राधिकरण के अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित की जाती है।

भवदीया,

संलग्नक–यथोपरि ।

(कहकशां नसीम, भा0व0से0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

संख्या 4038 (1) / दिनांकित ।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1–प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून ।

2– अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहादून को मय संलग्नक के।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– जिलाधिकारी, देहरादून ।

संलग्नक–यथोपरि ।

(कहकशां नसीम, भा0व0से0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

Scanned by CamScanner